भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2411

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

ईएसआई योजना में अंशदान

2411. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री एम. वसंतकुमार:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सह चन्देल:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की स्वास्थ्य बीमा योजना में नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान में कटौती करने की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इसके फलस्वरूप कम्पनियों की अनुमानित वार्षिक बचत का आंकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2018-19 में ईएसआई योजना में कितने नियोक्ताओं और कर्मचारियों ने अंशदान किया है और उनके द्वारा पृथक रूप से कितना अंशदान किया गया है; और

(घ) अंशदान की दर में कटौती करने से कामगारों को किस हद तक राहत मिलेगी और ईएसआईसी योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक कामगारों को शामिल करने में मदद मिलेगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, हां। ईएसआई अधिनियम, 1948 की परिधि के अंतर्गत अधिक से अधिक कर्मचारियों को ने लाने के लिए ईएसआई अंशदान की दर को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। कर्मचारियों को भुगतान किए गए कुल मजदूरी में से नियोक्ता के अंशदान की दर 3.25 प्रतिशत है और कर्मचारी के अंशदान की दर 0.75 प्रतिशत है। अंशदान की घटी हुई दरें 01.07.2019 से प्रभावी होंगी।

जारी----2/-

(ख): नियोक्ताओं को अब ईएसआई अंशदान के रूप में वेतन का 3.25 प्रतिशत का भुगतान करना होता है, जो कि पूर्व में 4.75 प्रतिशत का भुगतान किया जा रहा था, जिससे वेतन में (लगभग) 32 प्रतिशत की कमी में आती है।

(ग):

वर्ष	नियोक्ताओं की संख्या (लाख में)	बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (आईपी) (करोड़ में)	प्राप्त अंशदान करोड़) (में
2013-14	6.69	1.95	9632.54
2018-19 (अनंतिम)	12.85	3.60	22279.14

(घ): अंशदान की दरों में इस कमी के कारण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों को अपने कुल वेतन के पूर्व में भुगतान किए जा रहे 1.75 प्रतिशत के स्थान पर 0.75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। 4 प्रतिशत की अंशदान की दर में कमी ईएसआई कवरेज और अनुपालन को बेहतर करेगी।

******